358/29-26

Print

Form A

See Rule 3(1)

Application for Right To Information

Application No **BR251224000019** (Office Use Only)

To,

Public Information Office
Department : Road and Construction Department

1. Applicant Name : ARCHANA SINGH
2. Address : DEEP COLONY GALI NO 5 SANT KABIR ROAD BANUCHHAPAR
BETTIAH
akhileshrcd263@gmail.com
District - WEST CHAMPARAN Block - BETTIAH Panchayat - None
Village - None Pin - 845438 State - Bihar

Information Sought

about home district transfer posting and deputation matter and others

Reply Remarks

--

I hereby declare that the Information I have asked for is related to your department/office and as per my knowledge it is not exempted under the sections 8 and 9 of RTI Act 2005.

I have paid Rs. 10/- to the Department / Office

Date : 24/12/2025

Applicant's Details

Email Id	:	akhileshrcd263@gmail.com
Contact No.	:	+91-8581862374
Address	:	DEEP COLONY GALI NO 5 SANT KABIR ROAD BANUCHHAPAR BETTIAH akhileshrcd263@gmail.com District - WEST CHAMPARAN Block - BETTIAH Panchayat - None Village - None Pin - 845438 State - Bihar

2004 आ०
४० दि०
26/12/25

26/12/2025

This is system generated file, need not to be signed

1. कार्य विभाग में स्थानान्तरण/पदस्थापन क लिये बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय के पत्रांक 881, दिनांक 03.06.2009 में उपबंधित नियमों का पालन किया जाना है। मुख्यतः गृह जिला में पदस्थापन का अनुपालन किया जाना है। यदि नहीं तो गृह जिला में पदस्थापन किस नियमों के आधार पर किया जाता है।
2. पथ निर्माण विभाग में कम्प्यूटर अपरेटर की नियुक्ति सरकार के किस नियमों के अनुसार किया जाता है एवं इसके संबंध में विभाग किस प्रकिया का अनुपालन करती है। जबकि आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर अपरेटर बेलट्रान के माध्यम से कम्प्यूटर अपरेटर की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके विपरीत प्रकिया के तहत विभाग द्वारा सरकारी राशि का दूरूपयोग करने किस नियमों के तहत किया जाता है।
3. पदाधिकारियों के पदस्थान अवधि में आवंटित सरकारी आवासों के लिये विद्युत विपत्रों का भुगतान सरकारी राशि से किया जाना है यदि नहीं तो बिहार सरकार के अन्तर्गत पदाधिकारियों के सरकारी आवासों के लंबित विद्यत विपत्रों के के अभाव में अबतक सरकारी राजस्व की लंबित राशि कितनी है एवं इसके बसूली के लिये सरकार के स्तर पर क्या कार्रवाई की जा रही है।
4. पथ निर्माण विभाग में निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्रियों के गुणवत्ता जॉच सड़क निर्माण के लिये नमूना के रूप में जॉच की प्रकिया है अथवा शतप्रतिशत गुणवत्ता जॉच किया जाता है। यदि नहीं तो किस नियमों तहत के नमूना के रूप में निर्माण सामग्रियों का जॉच किया जाता है।
5. बिहार सरकार के कर्मियों एवं पदाधिकारियों को अपनी उपस्थिति दर्ज बायोमेट्रिक पद्धति से किया जाना है क्या कार्यालयों में उपस्थिति पंजी से दर्ज करने का सरकारी प्रावधान है। यदि नहीं तो किस आधार पर उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज किया जाता है।

अर्पणा सिंह
23/12/2025

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र 'ज'

(लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा अपने विभाग के किसी प्रशाखा से मांगी गयी सूचना हेतु)

पत्र संख्याः—**लो.सू.को. / आई०डी०सं०—358 / 25—26** 8733(E) **पटना, दिनांक**—29/12/2025

प्रेषकः

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजीयन सं०..................
....
दिनांक—..................

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—04,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

महाशय,

श्रीमती अर्चना सिंह का जानकारी सूचना आवेदन संख्या—BR251224000019 दिनांक—24.12.2025 जो इस कोषांग में दिनांक—26.12.2025 को प्राप्त हुआ है, **(आई०डी०सं०—358 / 25—26)** इसके साथ संलग्न किया जाता है :—

याचित सूचना आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है लेकिन याचित सूचना आपके प्रशाखा से संबंधित है। अतः अधिनियम की धारा—**5 (4)** के आलोक में प्रपत्र—'क' को आपके क्षेत्राधिकार / प्रशाखा से संबंधित सूचना हेतु संलग्न किया जाता है।

विदित हो कि अधिनियम की धारा—**5 (5)** के आलोक में आपके द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है एवं आवेदक को प्रपत्र—'क' विभाग में प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिनों के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

अतः एक सप्ताह के अन्दर सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के आलोक में वांछित सूचना **दो सेट में** अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Komal 29/12/25

लोक सूचना पदाधिकारी

ज्ञापांक—8733(E) दिनांक—29/12/2025

प्रतिलिपि : **उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा—04** पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Komal 29/12/25

लोक सूचना पदाधिकारी

D:\R.T.I. Section-32\Komal-32\R.T.I. FOLDER TILL-2025\praptra.-Ja.docx

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

सं० सं०:–4/स्था०(सूचना)–14–01/2026 394 (E) we /पटना, दिनांक 19/01/2026

प्रेषक,

प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रशाखा–04,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– श्रीमती अर्जना सिंह द्वारा माँगी गई सूचना के संबंध में (आई०डी०संख्या–358/25–26)।

प्रसंग:– भवदीय पत्रांक–8733(E) we दिनांक 29.12.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि कंडिका–5 में माँगी गई सूचना के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–16458 दिनांक 12.09.2022 संलग्न की जाती हैं तथा कंडिका–2 में माँगी गई सूचना के आलोक में कहना है कि विभाग (मुख्यालय) एवं उपभाग में कुल–80 कम्प्यूटर ऑपरेटर बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यरत है, जिसका माहवार पारिश्रमिक भुगतान प्रशाखा–4 द्वारा की जाती है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

19/1/26

प्रशाखा पदाधिकारी–04
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

20/01/26

20-01-2026

D/Section-04/Vikash Ji/ Suchna ka Adhikar_Letter-2022

पत्रांक –3/एम०–60/2022सा०प्र०.16458/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव।

ई–मेल सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 12.9. 2022

विषय-- बिहार सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबन्दी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या–15498 दिनांक–01.09.2022 द्वारा बिहार सरकार के विभागों/निदेशालयों/ क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को 05 दिवसीय/06 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली के तहत निर्धारित समय पर Biometric Attendance के माध्यंम से अपनी उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित करने का निदेश परिचारित किया गया है।

2. तत्कालीन कार्मिक विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र संख्या–469 दिनांक–09.07.1975 एवं 675 दिनांक–26.08.1976 द्वारा कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबन्दी के संबंध में कतिपय निदेश भी परिचारित है।

3. कतिपय विभागों/कार्यालयों में ऐसा देखा जा रहा है कि पदाधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय के अनुरूप Biometric Attendance के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं।

4. वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निदेश दिया जाता है कि–

(i) विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकार (बिहार कार्यपालिका नियमावली की चतुर्थ अनुसूची में आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्राधिकार) की पूर्वानुमति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी को एक महीने में अधिकतम 02 दिन विलम्ब से उपस्थित होने की छूट दी जायेगी।

14

03 लोक सूचना ५४८०

(ii) यदि कोई पदाधिकारी/कर्मचारी बिना अनुमति के विभाग/कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्धारित समय से 01 घंटा के बाद उपस्थिति दर्ज करता हो तो उनकी आकस्मिक छुट्टी की लेखा में आधे दिन की छुट्टी विकलित की जायेगी।

(iii) किसी पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा यदि विलम्ब से उपस्थिति बार–बार दर्ज किया जाता हो तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।

(iv) सरकार/सक्षम प्राधिकार के निदेश पर कार्यालय अवधि प्रारम्भ होने के पूर्व से माननीय उच्च न्यायालय/किसी अन्य न्यायालय/लोकायुक्त का कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने/राज्य सूचना आयोग/किसी अधीनस्थ कार्यालय आदि में व्यस्तता के कारण विलम्ब से कार्यालय आने की स्थिति बनती हैं, तो ऐसे विलम्ब की उपेक्षा की जायेगी।

5. अतः बिहार सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबन्दी के संबंध में उपर्युक्त कंडिका–4 में निहित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश अपने अधीनस्थ को देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

BRajender 12-9-2022

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव।

प्रपत्र 'घ'

(सूचना उपलब्ध कराना)

(नियम 4 (1) देखें)

<u>बिहार सरकार</u>

<u>पथ निर्माण विभाग</u>

Pls
Kamal
(28.01.2026)

पत्र संख्याः–लो.सू.को. / आई०डी०सं०–358 / 25–26 630(E) पटना, दिनांक–28/01/2026

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

<u>स्पीड पोस्ट</u> सेवा में,

श्रीमती अर्चना सिंह,
Deep Colony Gali No-05,
Sant Kabir, Road Banuchhapar,
Block-Bettiah, Dist-Bettiah,
Pin-845438
Mob-8581862374

महाशय,

यह आपके जानकारी सूचना आवेदन संख्या–BR251224000019 दिनांक–24.12.2025 जो इस कोषांग में दिनांक–26.12.2025, को प्राप्त हुआ है। **(आई०डी०सं०–358 / 25–26)** में देय / अदेय सूचना के संबंध में है :–

2. याचित सूचना संबंधी प्रतिवेदन **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–04**, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–394 (ई)अनु० दिनांक–19.01.2026 से प्राप्त है, को संलग्न किया जाता है।

<u>अनु०–यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन,

Kamal 28/1/26

लोक सूचना पदाधिकारी

ज्ञापांक–630(E) पटना, दिनांक–28/01/2026

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–04, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kamal 28/1/26

लोक सूचना पदाधिकारी

...... निर्गत
पंजीयन सं०..................
....
दिनांक-..................